फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री भैरूलाल पिता हीरा गाडरी निवासी सुरजपुरा

बनाम

श्री माधु पिता डालू गाडरी निवासी सुरजपुरा वगैरा

प्रकरण संख्या 09/2017 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। तहसीलदार भदेसर से तलबीदा पत्रावली उपलब्ध नहीं होने संबंधी सूचना प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो. सं. 2 व 3 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने आज भी रेस्पो सं. 2 व 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने दिनांक 18.01.19 के पश्चात् से आदिनांक तक लगभग 05 वर्ष 05 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी रेस्पो. सं. 2 व 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं जबकि इस हेतु अधिवक्त अपीलांट को कई अवसर दिए जा चुके हैं अर्थात् अधिवक्ता अपीलांट अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण आदेश 09 नियम, 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	